



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत



Ph. No. 05966-220679, Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 880/86जी

दिनांक रानीखेत, 06/06/2020.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में देघाट तल्ली नारायण मन्दिर मालभीड़ा धारकोट सेरा मुनानी मालीखेत नागचूलखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.2731 हे० वन भूमि के समबन्ध में। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/16265/2015)

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/27/2017/एफ.सी./2579 दिनांक 13.02.2020 एवं आपका पत्रांक मैमो/12-1(2) दिनांक 22.02.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषय सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा 3 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है जिनका बिन्दुवार निराकरण कर ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है, जो बिन्दुवार निम्नवत् है :-

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	In reply to point no 01 & 03 no corrections have been made. State Government may make the necessary corrections in this regard.	प्रोजेक्ट के अनुसार परमानेन्ट इम्प्लायमेन्ट शून्य व टैम्परेरी इम्प्लायमेन्ट 16425 मैनेज्ड है। जो पार्ट-1 के पैरा E में अंकित कर ऑन लाईन कर दी गयी है व बिन्दु संख्या 3 में सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित वन भूमि का औचित्य प्रमाण पत्र मोटर मार्ग के समरेखण में पूर्णतः उपयुक्त चयनित भूमि के अनुसार दिया गया है, जिस पुनः पार्ट-1 के एडिसनल इनफार्मेशन में ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
2.	In reply to point No. 02 revised cost benefit analysis in new format uploaded taking NPV amount Rs. 44.60 lakh, however in NPV calculation sheet amount of NPV is Rs. 34,64,425/ State Government may clarify and remove this discrepancy.	एन.पी.वी. देयता प्रमाण पत्र में कैलकुलेशन के अनुसार एन.पी.वी. की धनराशि ₹ 44,55,769.50 है जिसे लागत लाभ विश्लेषण प्रपत्र में राउण्ड फीगर में ₹ 44.60 लिया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पूर्व में एडिसनल इनफार्मेशन में ऑन लाईन प्रेषित है।
3.	राज्य सरकार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र की प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा सत्यापित Site Inspection Report इस कार्यालय में प्रेषित करें साथ ही उसे Online web portal पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र के निरीक्षण बाबत उपलब्ध प्रारूप में संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी का ही नाम नाम अंकित किया जाना चाहिए था। इसमें वन क्षेत्र अधिकारी के नाम का उल्लेख किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा निरीक्षण कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का प्रमाण पत्र ऑन लाईन web portal पर अपलोड किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का निरीक्षण वन क्षेत्राधिकारी, जोरासी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है जिस कारण वन क्षेत्राधिकारी, जोरासी का उल्लेख प्रमाण पत्र में किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक /

तददिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

वन भूमि की विस्तृत आख्या/औचित्य

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में देघाट-तल्ली चम्याड़ी नारायण मन्दिर-सैरामुनानी-मालभीड़ा-धारकोट-मालीखेत-नागचूलाखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण। (5.2731है०)(लम्बाई 18.500किमी.)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 299/लो०नि०-2/2004-16(प्रा.आ.)/2004 दिनांक 28.02.2004 के द्वारा 18.500 किमी. लम्बाई हेतु रूपया 469.72 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

यह मोटर मार्ग तल्ली चम्याड़ी से नागचूलाखाल तक लगभग 11-12 ग्रामसभाओं को लाभ पहुँचायेगा। इस मार्ग की मांग स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार की जा रही है जिस हेतु इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु तीन-चार जगह से सर्वेक्षण कार्य किया गया जिसमें सही समरेखन को देखते हुए कम-से-कम वन भूमि तथा वृक्ष प्रभावित हाने पर विभागीय मानकों के आधार पर एवं जनता के बीच-बातचीत कर सर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात् समरेखन स्वीकृत कराया गया।

इस प्रकार किये गये समरेखन में 3.570है० सिविल बेनाप भूमि तथा 1.7031है० वन पंचायत भूमि, कुल 5.2731है० भूमि प्रभावित होती है तथा 9.870है० नाप भूमि प्रभावित होती है।

अतः उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.2731है० वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव गठित किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशाली अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

वन क्षेत्र अधिकारी

जोरासी वन क्षेत्र

मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा का प्रभाग अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा का प्रभाग, अल्मोड़ा